[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 69/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 2017
10 आषाढ़, 1939 (शक)

का. आ............(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/2017-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे का.आ. 2051(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में ई-प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना में, सारणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 और 358 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	404 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 और 359 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	547 प्रति किलोग्राम

[फा. सं. 467/1/2017-सीमा शुल्क-V]

(सत्यजीत मोहंति)
निदेशक, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ.748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 62/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे का.आ. 2051(अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।